

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 196/2012

संस्थित दिनांक-17/5/2012

सिद्धार् उर्फ सरदार पुत्र रतनलाल जाटव

आयु 65 साल, ग्राम गड़रोली परगना

गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

-----अपीलार्थी/आरोपी

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद , जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक

अपीलार्थी/आरोपी द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता

न्यायालय-श्री एस0के0तिवारी, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण

क्रमांक-556/2005 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 19/4/2012 से उत्पन्न दांडिक अपील

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 04 जून, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपी सिद्धार् उर्फ सरदार की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री एस0के0तिवारी द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 556/2005 निर्णय दिनांक-19/04/2012 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-25 (1-ख) (क) आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

2. प्रकरण में निर्विवादित है कि अपीलार्थी/आरोपी सिद्धार् उर्फ सरदार तथा घटना दिनांक को गोहद में पदस्थ आरक्षक रामदास एक ही जाति के है ओर उनमें पूर्व से विवाद रहा है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-6/9/2005 को वंशीधर शर्मा को कस्बा गस्त के दौरान यह सूचना प्राप्त हुई कि मण्डी तिराहा के सामने गांधी नगर गोहद में एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहने हुए है ओर कट्टा खुर्से फिर रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु वह गवाह मुन्नालाल व रहीमखों को साथ लेकर यह गांधीनगर गया तो मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा, जिसे फॉर्स की मदद से घेरकर पकडा और उसकी

तलाशी ली तो उसके पास से एक 315 बोर का कटटा व एक जिंदा राउण्ड बरामद हुआ, उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सिद्धार्त उर्फ सरदार बताया और कटटा रखने का कोई लायसेंस पूछे जाने पर नहीं होना बताया। तब उसे मौके पर गिरफ्तार किया गया, जिसपर अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-243/2005 तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-25 (1-ख) (क) आयुध अधिनियम के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया। विचारणोपरांत अपीलार्थी को धारा-25 (1-ख) (क) आयुध अधिनियम में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये (पांच सौ रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि विवेचना के दौरान जप्तशुदा कटटे का कोई छायाचित्र नहीं बनाया गया, ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में हाथ का बना हुआ कटटा लेख किया है, जप्त राउण्ड 303 बोर का है जो उक्त कटटे से नहीं चलाया जा सकता है। अभियोजन के स्वतंत्र साक्षी मुन्ना खटीक व रहीस खाँ ने जब्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। आरक्षक रामदास जो कि गोहद थाना में पदस्थ है उससे आरोपी/अपीलार्थी की पुरनी बुराई है, ओर उसने अपने पद का गलत रूप से फायदा उठाते हुए झूठा फंसाया है। महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, उपरोक्त कारणों से अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उसका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे।

6. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय ज्ञापन में बताये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप ही अपने मौखिक तर्क किए हैं, जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि उसे विचाराधीन आरोप से नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि भिण्ड जिले में आपराधिक घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।

विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे।

7. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करनेमें विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया । मूल अभिलेख के अध्ययन करने पर अभियोजन कथानक मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध वगैर अनुमति के 315 बोर का एक देशी कट्टा मय जिन्दा कारतूस के आधिपत्य ओर संज्ञान में रखे जाने के बारे में बताया है, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य ओर निष्कर्ष के आधार पर प्रमाणित मानपते हुए उक्त अपराध में दोषसिद्धि और दण्डाज्ञा अधिरोपित की है। बचाव पक्ष का मूल तर्क यह है कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है और बचाव साक्षी ने वास्वविक बात बताई है, जिसे विचारण न्यायालय ने नकरात्क रूप से लेते हुए गलत निष्कर्ष निकाला है। आरोपी/अपीलार्थी मजदूर पेशा संभ्रात नागरिक होकर बृद्ध व्यक्ति है। उसका कोई भी आपराधिक चरित्र नहीं रहा है। तत्समय थाना गोहद में पदस्थ आरक्षक रामदास के द्वारा अपनी पदीय हैसियत के दुपयोग करते हुए झूठा फंसा दिया है। जबकि ए0जी0पी0 ने प्रकट किया है कि स्वयं बचाव साक्षी ने बरामदगी स्वीकार की है और रामदास द्वारा कट्टा कारतूस अपीलार्थी/आरोपी की जेब में रखे जाने का कोई आधार नहीं है।

9. अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 6.9.05 को सुबह 9:45 बजे मण्डी तिराहे के सामने गांधीनगर गोहद की बताई गई है तथा आरोपी/अपीलार्थी उस समय **धाती-कुर्ता पहने** हुए बताया गया है, जिससे मुखबिर की सूचना पर से 315 बोरे का देशी कट्टा मय एक जिन्दा कारतूस के मुन्नाखटीक ओर रहीस खॉ पंचों के समक्ष बरामद करना बताया गया है। ऐसे में मुन्ना खटीक व रहीस खॉ दोनों प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी

हैं। क्योंकि वह स्वतंत्र ओर निष्पक्ष व्यक्ति होकर आम जनता के साक्षी है। जिन्हें अभियोजन की ओर से प्रकरण में साक्ष्य में प्रस्तुत भी किया गया है। किन्तु मुन्नालाल (अ0सा02) और रहीस खॉ (अ0सा05) ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है और इस बात से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि उनके सामने पुलिस द्वारा आरोपी सरदार को पकड़ा था ओर उससे कटटा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया था। मुन्नालाल जब्ती पत्र प्रदर्श पी-1 ओर गिरफ्तारी पत्र प्रदर्श पी-2 पर ए से ओर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करते हैं किन्तु अन्य तथ्यों से इंकार करते हुए दोनों कागजों पर पुलिस द्वारा बिना पढ़ाये समझाये हस्ताक्षर करा लेना कहा है। रहीस खॉ तो थाना पर आते-जाते होने के कारण हस्ताक्षर करना बताता है ओर यह भी स्वीकार करता है कि वह पुलिस वाले उससे हस्ताक्षर कराते रहते हैं ओर 10-20 कागजों पर हस्ताक्षर कराए हैं। ऐसे में उक्त साक्षी 'पोकिट विटनेस' हो जाता है। दोनों ही साक्षियों के द्वारा मूल कथानक का समर्थन नहीं किया गया है ओर उनके द्वारा बताये गये तथ्यों से प्रदर्श पी-1 के जब्ती पंचनामा ओर प्रदर्श पी-2 के गिरफ्तारी पंचनामा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, प्रमाणित नहीं हुए हैं। जिनके तैयारकर्ता ए0एस0आई0 वंशीधर शर्मा (अ0सा07) हैं, जिसने अपनी अभिसाक्ष्य में मय पुलिस फोर्स के मौके पर जाना बताया है। ऐसे में उसकी साक्ष्य के आधार पर तथा हमराह बताये गये पुलिस फोर्स के साक्षियों की प्रस्तुत साक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि सभी पुलिसकर्मी हैं तथा हस्तगत प्रकरण में आरोपी/अपीलार्थी के बचाव का मूल आधार भी तत्समय थना गोहद में पदस्थ आरक्षक रामदास से चयल रही बुराई के आधार पर झूठा अभियोजित किया जाने का लिया गया है। घटना दिनांक को आरक्षक रामदास के थाना गोहद में पदस्थ रहने वाली बात स्वयं वंशीधर (अ0सा07), व परमानंद (अ0सा01) ने भी अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है। ऐसे में उक्त आधार को केवल बचाव के लिए या काल्पनिक रूप से लिया जाना नहीं माना जा सकता है।

10. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक दाण्डिक मामले में अभियोजन पर ही इस आशय का प्रमाणभार रहता है, कि वह युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को प्रमाणित करे, अर्थात् बचाव पक्ष की किसी त्रुटि, कमी, या कमजोरी का लाभ अभियोजन को प्राप्त नहीं हो सकता है। अन्य परीक्षित साक्षियों में से आरक्षक परमानन्द अ0सा0 01 ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 06/09/05 की घटना बताते हुए। बी0डी0 शर्मा दरोगाजी के साथ गस्त में जाना बताया है और यह भी कहा है कि उनके साथ आरक्षक मुनेन्द्र चन्द्र और

ओमवीर भी थे। जब वे गस्त करते हुए कस्बा में पहुँचे तब दरोगा जी से मुखबिर से इस आशय की सूचना मिली थी कि गांधीनगर तिराहे के पास एक व्यक्ति कट्टा खुरसे है। सूचना पर से वह वहाँ पहुँचे तो मुन्ना व रहीम खॉ भी साथ हो गया था। फिर वह सब लोग मौके पर पहुँचे तो उन्हें देख कर एक व्यक्ति भागने लगा जिसे घेर कर पकड़ा और तलासी ली तो धोती-कुर्ते के नीचे कट्टा खुरसे मिला था। उन्हें आरोपी ने अपना नाम पता पूछने पर बताया था और दरोगा जी ने 315 बोर का कट्टा और एक जिन्दा कारतूस की मौके पर ही लिखा पढी की थी। फिर आरोपी को मय कट्टा के थाने लाया गया था। ऐसा ही ए.एस.आई. बंशीधर अ0सा0 07 ने भी अपनी अभिसाक्ष्य में बताया है तथा थाना वापस आकर प्र0पी0 07 की एफ.आई.आर. लेखवद्ध करना और आगे की विवेचना नरेन्द्र पाल सिंह को सौंपी जाना कहा है। प्र0पी0 01 के जब्तीपत्र के अनुसार आरोपी को कुर्ते के नीचे वाली तरफ धोती के नीचे कट्टा खुरसे होना बताया गया है। कमर में खुरसे होने का उल्लेख नहीं है, जैसा कि जब्तीकर्ता अ0सा0 07 ने बताया है। दोनों की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने तलासी का कोई पंचनामा नहीं बनाया है और जो लोग पुलिस पार्टी में गये थे उनकी किसी की तलासी नहीं हुई। प्र0पी0 07 की एफ.आई.आर. में कब्जा दस्त के लिये हमराह पुलिस फोर्स में कौन-कौन लाग साथ गये थे इसका कोई उल्लेख नहीं है तथा कस्बा गस्त के लिये जाने और आरोपी को गिरफ्तार कर वापस थाने लाये जाने के संबंध में व मौके पर की गई कार्यवाही के संबंध में रोजनामचासान्हा, रवानगी, वापसी प्रकरण में पेश नहीं की गई है और यह अभियोजन साक्षी क्रमांक अ0सा0 07 ने पैरा 03 में स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया है। जबे ऐसे मामले में रोजनामचासान्हा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और यह उस स्थिति में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि घटना के स्वतंत्र साक्षी से कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ हो, जैसा कि हस्तगत प्रकरण में भी है।

11— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वचाव साक्षी के रूप में प्रस्तुत अभिलाख (व.सा. 01) की साक्ष्य को तो विश्वसनीय माना है, किन्तु उसने पैरा-1 में कोई ऐसे तथ्य को कि कट्टा रामदास ने हाथ में लिया ओर उसने सरदार की जेब में खोंस दिया और पिछली दुश्मनी निकालने की बात कही थी। इसे साक्ष्य में ग्राह्य करते हुए अभियोजन की साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर दोषसिद्धि की है। यह सही है कि दांडिक मामले में एक बात मिथ्या में तो सब बातों में मिथ्या का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। किसी साक्षी के कथन में आये किसी बिन्दु विशेष की साक्ष्य को ग्राह्य किया जा सकता है। किन्तु

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि घटना के बारे में अभिलाख की जो साक्ष्य है वह दिनांक 5.09.05 का बताई है। जबकि अभियोजन के कथानक के अनुसार घटना दिनांक 6.9.05 की होकर सुबह 9:45 बजे की है, अर्थात् एक दिन का स्पष्ट अंतर है, जिसे दृष्टिओझल करना उचित नहीं है तथा कथानक में आरोपी का धोती-कुर्ता पहने हुए बताया गया है, जो बृद्ध व्यक्ति है और बृद्ध व्यक्ति भारत वर्ष में पोषाक धोती-कुर्ता आम तौर पर ग्रामीण परिवेश में पहनने की प्रवृत्ति रखते हैं। बचाव साक्षी जैब में कट्टा खोंसना कहता है लेकिन कौन से वस्त्र की जेब में खोंसा गया उसने स्पष्ट नहीं कहा है तथा अभियोजन की ओर से उक्त बचाव साक्षी को यह भी सुझाव दिया गया है कि आरोपी/अपीलार्थी धोती-कुर्ता पहने था और कमर में वाई तरफ कट्टा व कारतूस मिला था। बचाव साक्षी मूलतः इसी बिन्दु पर प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी/अपीलार्थी एवं तत्समय थाना गोहद में पदस्थ आरक्षक रामदास की आपस में बुराई चल रही थी । तो रामदास के द्वारा मामला बनवाया गया है। रामदास को तत्समय घटना स्थल वाले थाने में ही पदस्थ रहना बचाव पक्ष के इस आधार को बल प्रदान करता है। लेकिन अभिलेख पर रामदास द्वारा कट्टा आरोपी सरदार की जैब में खोंस दिए जाने के संबंध में कोई सुदृष्ट साक्ष्य नहीं है तथा रामदास के द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत किए जाने का तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है। यह आधार बचाव पक्ष की ओर प्रारंभिक स्तर पर ही लिया गया है। इसलिए उसे औपचारिक नहीं माना जा सकता है और बचाव साक्षी के उक्त वाक्य के आधार पर अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है क्योंकि परमानंद आरक्षक (अभियोजन साक्षी क्र01) पुलिस फोर्स में साथ होने का कोई लेखीय प्रमाण पेश नहीं है, जो कि पेश किया जा सकता था। ऐसे में रोजनामचा सान्हा को पेश न किया जाना अभियोजन के विरुद्ध इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा निर्मित करने के लिए पर्याप्त है कि वह अवश्य ही अभियोजन को प्रतिकूल रहा होगा अन्यथा उसे पेश किया जाता। ऐसे में अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 एवं 7 की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है।

12. प्रकरण में यह भी एक दिलचस्पा पहलू है कि प्रदर्श पी-1 के अनुसार कट्टा 315 का जब्त होना बताया है जबकि कारतूस 303 बोर का जब्त किया गया है और अभियोजन साक्षी क्रमांक-7 ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी के पास से 315 बोर का कारतूस जब्त नहीं किया गया था और 303 बोर का कारतूस पुलिस तथा आर्मी वालों के पास रहता है आम आदमी के पास नहीं मिलता है। ऐसे में बचाव पक्ष के इस

आधार को ओर अधिक बल मिलता है कि तत्समय पदस्थ आरक्षक रामदास के द्वारा मामले में अपनी व्यक्तिगत बुराई के चलते उक्त कार्यवाही कराई गई। यदि वास्तविकता ने आरोपी 315 का अवैध कट्टा रखता तो उस पर कारतूस भी 315 बोर का ही मिलता अन्यथा वह इस कट्टे का कहीं उपयोग या प्रयोग ही नहीं कर सकता था। इस बिन्दु पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निष्कर्ष निकालते समय दृष्टिओझल करके निश्चित रूप से विधिक भूल की है।

13. अन्य साक्षियों में राजकिशोर दुबे (अभियोजन साक्षी क्र03) ने जब्त बताया गया कट्टा व कारतूस की जांच कराते हुए कट्टा फायर योग्य होना ओर 303 बोर का कारतूस जीवित बताया है ओर उसने प्रदर्श पी-4 की रिपोर्ट तैयार करना बताया है। आम्स क्लर्क योगेन्द्रसिंह कुशवाह (अभियोजन साक्षी क्र06) ने उक्त अपराध से संबंधित केस डायरी मय प्रथम सूचना रिपोर्ट जब्ती पंचनामों के साथ सीलबंद अवस्था में शस्त्र आरक्षक राजहंस द्वारा लाये जाने पर उनका अवलोकन करने के पश्चात् तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्रीमती सुधा चौधरी के द्वारा अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति (प्रदर्श पी 6) विधिवत दिया जाना बताया है। उक्त दोनों साक्षियों के कथनों से जब्त किया गया कट्टा फायर योग्य तथा तथा अभियोजन स्वीकृति में न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया जाना परिलक्षित होता है। क्योंकि प्रदर्श पी-6 में एक जिन्दा कारतूस पेश हुआ था उसके बोर का कोई उल्लेख नहीं है और तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस संबंध में पुलिस से कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया है कि केवल पुलिस बल या सैन्य बल को जारी होने वाला 303 बोर का कारतूस कैसे उपलब्ध हुआ। ऐसे में अभियोजन स्वीकृति औपचारिक रूप से दी जाना परिलक्षित होता है।

14— जब्तशुदा 315 बोर का कट्टा आरोपी/अपीलार्थी से बरामद होना ही प्रमाणित नहीं हुआ है। इसलिये प्र0पी0 04 एवं 06 के दस्तावेज दोष सिद्धी का आधार नहीं हो सकते और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में वचाव साक्ष्य को आधार मानते हुए अभियोजन की विश्वसनीय साक्ष्य होना निष्कर्षित किया जो विधि और तथ्यों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय पुष्टि योग्य नहीं है। प्रस्तुत दाण्डिक अपील सद्भावी होकर स्वीकार किये जाने योग्य है।

15. फलतः अपील में लिए गये आधार सद्भावी और सुसंगत पाये जाते हैं। फलस्वरूप प्रस्तुत दाण्डिक अपील विचारणोपरांत स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक— 19/04/2012 को अपास्त करते हुए

आरोपी/अपीलार्थी सिद्धार् उर्फ सरदार को मामला संदिग्ध होने से धारा- 25 (1-ख) (क) आयुध अधिनियम के आरोप के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी द्वारा जमा अर्थदण्ड अपील अवधि पश्चात उसे वापस किया जावे ।

16. अपीलार्थी/आरोपी के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रखते हुए तत्पश्चात भारमुक्त किये जाते हैं ।

17. प्रकरण में जप्तशुदा कटटा एवं कारतूस अपील/निगरानी अवधि पश्चात, विधिवत निराकरण हेतु डी.एम. भिण्ड को भेजे जावें । अपील/निगरानी होने की दशा में अपीलीय/निगरानी न्यायालय के निर्णय अनुसार निराकरण हो ।

दिनांक: 04 जुलाई 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

सही /—
(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सही /—
(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड